

ACM काले २० २०२५

फर्द अहकाम

बेबेनु सिंह बनाम महावीर सिंह

नाम न्यायालय

केस संख्या २३५/२०१५

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	न्यायालय संख्या
	२५/३/२५	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एंड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वोक्त तार दिनांक १५/५/२५ को पेश हो।	दिनांक आ कार्यवा
	१५/५/२५	पत्रावली प्रस्तुत। व० फ० उप०। उपपत्र श्रीधरवन्तागण की धारा-१० व १५। सीपीसी पर बहाना चुनी गई। पत्रावली का आवलोकन किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के साक्ष्य विचारार्थी प्रकरण में विवादित धारानी एक ही है तथा विषय वस्तु एक ही है अतः प्रस्तुत तर्क, प्रमाणों, न्यायालय की धारा १० अनुसार प्रार्थना धारा-१० व १५। सीपीसी न्यायिक में सीकर किया जाकर न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचारार्थी प्रकरण के निर्णय तक वाद की कार्यवाही स्थगित की जाती है।	

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

